फर्द अहकाम

गुलाब बनाम ठाकरसी

ाय : सहायक कलक्टर, बस्सी — दावा 07 / 2024

प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क आज्ञा ार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
.01.2024	यह दावा वादी ने अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रतिवादीगणों पर सम्मनों की तामिल आदेश 5 नियम 9 में उपबन्ध अनुसार हो। वादी को आदेशित किया जाता है कि सात दिवस के भीतर वाद पत्र की प्रतियों के साथ प्रतिवादियों पर सम्मनों की तामिल हेतु आवश्यक प्रतियां एवं अपेक्षित फीस प्रस्तुत करें। सात दिवस में इस आशय का शपथ पत्र पेश हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजि. नोटिस से करवायी जाकर पत्रावली दिनांक 25.01.2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	
25/01/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाब द्वारा कन्डोलेन्स, कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 07/3/24 को पेश हो।	
7/3/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब दौरे अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 23/04/24 को पेश हो।	
23/4/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब दौरे अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 13/6/24 को पेश हो।	
01/05/24	प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का स्वीकार किया जाकर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई। वादीगण मय अधिवक्ता स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. बाबत विड्रा किये जाने वादपत्र का मय शपथ पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र	R.T.I. गुलाब आकाश मीना

फर्द अहकाम

गुलाब देवी बनाम ठाकरसी

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 07/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से

विड्रो स्वीकार कर नया वाद पेश करने की अनुमति प्रदान करते हुए उनवानी वादपत्र को विड्रो किये जाने की अनुमति प्रदान कर खारिज फरमाने हेतु प्रार्थना की। एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये जिनकी पहचान वादीगण के अधिवक्ता श्री कुलदीप किशोर शर्मा द्वारा की गई। प्रार्थीगण/वादीगण की प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र 023R1 सीपीसी पर सुनने के उपरान्त न्यायहित को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र 023R1 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादपत्र को विड्रो करने की अनुमति प्रदान की जाती है अतः वादपत्र को विड्रो करने की अनुमति प्रदान किया जाकर वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाता है

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला-जयपुर